ालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
ना –पत्र नम्बर 39 / 2018
वान बलविन्दर सिह बनाम कर्मसिह वगैरा
ना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

बलजिन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज. हाल आबाद भागू रोड बठिण्डा तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
कुलवीर सिंह पुत्र सुखदर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रार्थीगण

बनाम

करम सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
अमरजीत सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
करतार सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 10 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
गुरदयाल सिंह पुत्र खुशाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
मुंशी सिंह पुत्र खुशाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
सरवन सिंह पुत्र खुशाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
पाला सिंह पुत्र बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
ठाकर सिंह पुत्र बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
मेजर सिंह पुत्र बहाल सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
हरनेक सिंह पुत्र बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
मिठू सिंह पुत्र बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
निरंजन सिंह पुत्र बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
भगवान कौर पुत्री बहाल सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
रजवंत कौर पुत्री बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
बचन कौर पुत्री बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
जसवंत सिंह पुत्र मुखत्यार कौर पुत्री बहाल सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
रूप सिंह पुत्र मुख्त्यार कौर पुत्री बहाल सिंह जाति जटसिख नि. भगतपुरा त.संगरिया जिला हनुमानगढ़
जगसीर सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
गमदूर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से रिमाण्ड होकर प्रस्तुत हुआ जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के पिता के नाम से चक 1 एनटीडब्ल्यू खाता सं. 27 [illegible] इसी चक के खाता [illegible] छ–छ बीघे भूमि दर्ज है। सुखदर्शन सिंह दोनो खातों में प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी [illegible] प्रकार है:–
प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के पिता को बंटवारा [illegible] का विवरण [illegible]
प्रार्थी सं. 1 के कब्जाकाश्त की भूमि का विवरण:–
चक नं. 1 एन.टी.डब्ल्यू

ख.नं.	मु.न.	किला नं.
191 / 159	23	5.6.15
192 / 159	24	1.2.3

प्रार्थी स. 2 के पिता के कब्जाकाश्त की भूमि का विवरण:–
चक नं. 1 एन.टी.डब्ल्यू

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:20 IST
Reason: SelfAttested

मु.नं. किला नं.
/159 23 3,4,7,8,13,14

शे नक्शा की मूल प्रति व जमाबंदी चक नं. 1 एन.टी.डब्ल्यू सं. 2066–69 शामिल प्रार्थना पत्र है। यह है प्रार्थी सं. 1 के पिता व 2 के दादा करनैल ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता दुरसिंह पुत्र सुन्दरसिंह को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई हेतु इस शर्त पर खाला किला नं. 6 व 15 की दिशा में पत्थर लाईन पर दिया था कि अप्रार्थीगण का पिता बहादुरसिंह प्रार्थी सं. 1 के पिता व प्रार्थी 2 के दादा व प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि जो खाता सं. 4 खाता करमसिंह में दर्ज किला नं. 16,25 में होकर दो–दो बिस्वे रास्ता देगा। प्रार्थीगण के पिता व दादा नेअपना बचन पूरा करते हुए अप्रार्थीगण को ला प्रदान कर दिया व अप्रार्थीगण के पिता बहुदर सिंह ने भी अपना बचन अनुसार प.नं. 191/159 मु.नं. किला नं. 16,25 में दो–दो बिस्वे रास्ते दे दिया। कुछ साल तक प्रार्थीगण का पिता व प्रार्थीगण उक्त ते का उपयोग व उपभोग करते हुए अपनी कृषि भूमि में आ जा रहे थे। प्रार्थीगण के पिता व दादा की यु के बाद अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता ने रास्ता बंद कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद किए ने के कारण प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने बाबत कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है वजह से प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि काश्त करने में भारी असुविधा व हानि हो रही है। अप्रार्थीगण रा रास्ता बंदर करने के कारण प्रार्थीगण की भूमि बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है। अप्रार्थीगण न प्रार्थीगण के व न ही किसी अन्य काश्तकार को प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने व कृषि कार्य हेतु रास्ता है जिसके कारण प्रार्थीगण को अपनी भूमि को काश्त करने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा व आस–पास के काश्तकारों से मिन्नत करन अपनी भूमि में जाना पड़ता है। अप्रार्थीगण काफी ावशाली व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। इस कारण न तो प्रार्थीगण को भूमि में काश्त करने देते है न ही किसी अन्य काश्तकार को चक में भूमि काश्त हेतु देने देते है। जिससे प्रार्थीगण को भारी आर्थिक सुविधा हो रही है व प्रार्थी की भूमि भी बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है। अगर समय रहते प्रार्थीगण नजरी नक्शानुसार अप्रार्थीगण के किला नं. 16 व 25 में (पत्थर लाईन पर) दो–दो बिस्वे रास्ता नहीं या गया तो प्रार्थीगण का न पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीगण कृषि पेशा है, जिसके रोजगार का रिए कृषि भूमि की आमदनी है। प्रार्थना पत्र एक रूपए के न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है जो ायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में व अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार र्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त की कृषि भूमि चक नं. 1 एन.टी. ब्ल्यू के प.नं. 191/159 मु.नं. 23 के किला नं. 16, 25 में पूर्वी दिशा की ओर पत्थर लाईन पर दो–दो स्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमाय जाए।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ता 19 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 0 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर पक्षकार संयाजित कर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ा 17, 19 बावजूद सूचना उपस्थित नही है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ ो शामिल पत्रावली किया। अप्रार्थी संख्या 18 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये लेकिन बार–बार समय दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट ... उन्होंने अपने पत्र मांक 799 दिनांक 05.12.2019 द्वारा अवगत कराया ... प्रार्थी चक ... एन.टी.डब्ल्यू के प.नं. 191/159 मु. 23 किला नं. 16,25 में पूर्वी दिशा की ओर पत्थर लाईन पर दो दो बिस्वा ... रास्ता दिया जाना अप्रार्थीगण रास्ता देने में असहमत है एवं प.न. ... रास्ता ... किये जाने की अनुशंषा चित बतलाते हुए प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना व रास्ता ... की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

मु.नं. किला नं.
/159 23 3,4,7,8,13,14

री नक्शा की मूल प्रति व जमाबंदी चक नं. 1 एन.टी.डब्ल्यू सं. 2066–69 शामिल प्रार्थना पत्र है। यह है प्रार्थी सं. 1 के पिता व 2 के दादा करनैल ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पिता दुरसिंह पुत्र सुन्दरसिंह को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई हेतु इस शर्त पर खाला किला नं. 6 व 15 की दिशा में पत्थर लाईन पर दिया था कि अप्रार्थीगण का पिता बहादुरसिंह प्रार्थी सं. 1 के पिता व प्रार्थी 2 के दादा व प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि जो खाता सं. 4 खाता करमसिंह में दर्ज किला नं. 16,25 में होकर दो–दो बिस्वे रास्ता देगा। प्रार्थीगण के पिता व दादा नेअपना वचन पूरा करते हुए अप्रार्थीगण को ला प्रदान कर दिया व अप्रार्थीगण के पिता बहुदर सिंह ने भी अपना वचन अनुसार प.नं. 191/159 मु.नं. किला नं. 16,25 में दो–दो बिस्वे रास्ते दे दिया। कुछ साल तक प्रार्थीगण का पिता व प्रार्थीगण उक्त ते का उपयोग व उपभोग करते हुए अपनी कृषि भूमि में आ जा रहे थे। प्रार्थीगण के पिता व दादा की यु के बाद अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता ने रास्ता बंद कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद किए ने के कारण प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने बाबत कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । वजह से प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि काश्त करने में भारी असुविधा व हानि हो रही है। अप्रार्थीगण रा रास्ता बंदर करने के कारण प्रार्थीगण की भूमि बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है। अप्रार्थीगण न प्रार्थीगण के व न ही किसी अन्य काश्तकार को प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने व कृषि कार्य हेतु रास्ता । है जिसके कारण प्रार्थीगण को अपनी भूमि को काश्त करने में भारी असुविधा का सामना करना पड रहा व आस–पास के काश्तकारों से मिन्नत करन अपनी भूमि में जाना पड़ता है। अप्रार्थीगण काफी गावशाली व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। इस कारण न तो प्रार्थीगण को भूमि में काश्त करने देते है न ही किसी अन्य काश्तकार को चक में भूमि काश्त हेतु देने देते है। जिससे प्रार्थीगण को भारी आर्थिक सुविधा हो रही है व प्रार्थी की भूमि भी बंजर होने का खतरा पैदा हो गया है। अगर समय रहते प्रार्थीगण । नजरी नक्शानुसार अप्रार्थीगण के किला नं. 16 व 25 में (पत्थर लाईन पर) दो–दो बिस्वे रास्ता नहीं या गया तो प्रार्थीगण का न पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थीगण कृषि पेशा है, जिसके रोजगार का रिए कृषि भूमि की आमदनी है। प्रार्थना पत्र एक रूपए के न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है जो गयालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में व अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार र्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त की कृषि भूमि चक नं. 1 एन.टी. ल्यू के प.नं. 191/159 मु.नं. 23 के किला नं. 16, 25 में पूर्वी दिशा की ओर पत्थर लाईन पर दो–दो स्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमाय जाए।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ता 19 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर पक्षकार संयाजित कर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 17, 19 बावजूद सूचना उपस्थित नही है। अप्रा[illegible] की ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ ा शामिल पत्रावली किया। अप्रार्थी संख्या 18 जरिये अधिवक्ता उ[illegible] लेकिन बार–बार समय दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। इस कार्यालय द्वारा त[illegible]दार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं [illegible] जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 799 दिनांक 05.12.2019 द्वारा अवगत करवाया कि प्रार्थी चक 1 एनटीडब्ल्यू के पं.न. 191/159 मु. . 23 किला नं. 16,25 में पूर्वी दिशा की ओर पत्थर लाईन पर दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता अप्रार्थीगण रास्ता देने में असहमत है एवं प.न. 192/159 मु.न. 24 के किला नं. 4,5 में रास्ता दिया जाना उचित बतलाते हुए प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना व रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(181)

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की तिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर कृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के ना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण ा गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 1 एनटीडब्ल्यू में त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र र्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 1 एनटीडब्ल्यू के प.न. 192/159 मु.न. 24 ला न. 4,5 मे पत्थर लाईन के साथ–साथ पूर्व से पश्चिम $16^{1/2}$ फीट चौड़ा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा ो 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये तथा राशि जमा करवाये जाने के बाद नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड दर्ज किया जाकर चालू करवाया जावें। अप्रार्थीगण को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ. रीक्षक की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावे, तहसीलदार संगरिया को लनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास नाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) (182)

क्रमांकः– / 2024 / 225 दिनांकः– 25.7.2024

तहसीलदार (राजस्व)

संगरिया।

विषयः– प्रार्थना–पत्र संख्या 39 / 2018 अनवान बलजिन्दर सिंह बनाम बनाम कर्म सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए की मुताबिक निर्णय दिनांक 24.07.2024 की पालना करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र संख्या 39 / 2018 अनवान बलजिन्दर सिंह बनाम बनाम कर्म सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए की मुताबिक निर्णय दिनांक 24.07.2024 को निर्णय पारित किया गया है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदि न हो तो नियमानुसार मुताबिक निर्णय पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः निर्णय की प्रति

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) (182)

क्रमांकः– / 2024 / 225

दिनांकः– 25.7.2024

तहसीलदार (राजस्व)

संगरिया।

विषयः– प्रार्थना–पत्र संख्या 39 / 2018 अनवान बलजिन्दर सिंह बनाम बनाम कर्म सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए की मुताबिक निर्णय दिनांक 24.07.2024 की पालना करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र संख्या 39 / 2018 अनवान बलजिन्दर सिंह बनाम बनाम कर्म सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए की मुताबिक निर्णय दिनांक 24.07.2024 को निर्णय पारित किया गया है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदि न हो तो नियमानुसार मुताबिक निर्णय पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः निर्णय की प्रति

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:20 IST
Reason: SelfAttested

(182)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

क्रमांकः– / 2024 / 225

दिनांकः– 25.7.2024

तहसीलदार (राजस्व)

संगरिया।

विषयः– प्रार्थना–पत्र संख्या 39 / 2018 अनवान बलजिन्दर सिंह बनाम बनाम कर्म सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए की मुताबिक निर्णय दिनांक 24.07.2024 की पालना करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र संख्या 39 / 2018 अनवान बलजिन्दर सिंह बनाम बनाम कर्म सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए की मुताबिक निर्णय दिनांक 24.07.2024 को निर्णय पारित किया गया है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदि न हो तो नियमानुसार मुताबिक निर्णय पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः निर्णय की प्रति

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:20 IST
Reason: SelfAttested

(182)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

क्रमांकः– / 2024 / 225 दिनांकः– 25.7.2024

तहसीलदार (राजस्व)

संगरिया।

विषयः– प्रार्थना–पत्र संख्या 39 / 2018 अनवान बलजिन्दर सिंह बनाम बनान कर्म सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए की मुताविक निर्णय दिनांक 24.07.2024 की पालना करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र संख्या 39 / 2018 अनवान बलजिन्दर सिंह बनाम बनाम कर्म सिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए की मुताबिक निर्णय दिनांक 24.07.2024 को निर्णय पारित किया गया है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदि न हो तो नियमानुसार मुताबिक निर्णय पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः निर्णय की प्रति

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.08.08 10:34:20 IST
Reason: SelfAttested